

न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 105/2017

अपीलापट्टस	बनाम	रेसपोन्डेन्ट
मूलसिंह पुत्र रेवतसिंह जाति राजपूत निवासी गिलाकोर तहसील बालेसर जिला जोधपुर		1- गोरधनराम पुत्र दुर्गाराम 2- हेमाराम पुत्र गुमनाराम 3- टीकूराम पुत्र गुमनाराम 4- जमनादेवी पत्नी गुमनाराम 5- किसनाराम पुत्र बुधाराम 6- भेराराम पुत्र प्रेमराम 7- अचलाराम पुत्र प्रेमराम 8- मगाराम पुत्र प्रेमराम 9- खेराजराम पुत्र प्रेमराम 10- चोथी पत्नी प्रेमराम जातियान जाट निवासीगण मुकनसर (लोडता अचलावता) तहसील बालेसर, जिला जोधपुर 11- तहसीलदार बालेसर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
विरुद्ध निर्णय दिनांक 24-6-2016 जो उपखण्ड अधिकारी बालेसर द्वारा
राजस्व विविध प्रकरण संख्या 18/2016 अनवान गोरधनराम बनाम सरकार
में पारित किया गया ।

उपस्थिति:-

- 1- श्री जगदीश प्रजापत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
- 2- श्री भरत बूब अधिवक्ता रेसपो संख्या 1 से 10 की ओर से ।
- 3- राजकीय अधिवक्ता रेसपो संख्या 11 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4-10-2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेसपो संख्या 1 से 10 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अपने खातेदारी खेत की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मुकनसर स्थित खसरा नंबर 13 रकबा 74 बीघा 14 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय के प्रार्थी रेकर्ड्ड खातेदार है जिसकी पत्थरगढी की जाये तथा आवश्यकता पडने पर पुलिस इमदाद के जरिये पत्थरगढी कराई जाये । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने वर्तमान अपीलांट को सुने बिना अपीलाधीन आदेश दिनांक 24-6-2016 को पारित कर दिया, जिसके विरुद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व रेसपोगण के खसरा नंबर

13 के पडोसी खातेदार अपीलांट एवं अन्य सहखातेदारो को पक्षकार बनाये बिना तथा पडोसी खातेदारो को नोटिस जारी कर उनकी सुनवाई किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एक ही दिन में उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को बिना जांच एवं पडोसी खातेदारो की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाये ही पत्थरगढी बाबत अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि पहले सीमाज्ञान रिपोर्ट पडोसी खातेदारो की मौजूदगी में तैयार करवाकर निर्विवादित सीमाज्ञान के आधार पर पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाना चाहिये परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलग्न अपने खातेदारी खसरा नंबर 14/1 एवं 16/2 ग्राम मुकनसर की प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलांट उक्त खसरा नंबर की भूमि का सहखातेदार है । अंत में वकील अपीलांट ने अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24-6-2016 को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पोंडण की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अपीलांट अधिवक्ता की बहस का खण्डन करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत उक्त अपील में यह कही नहीं बताया है कि अपीलाधीन आदेश से उसके अधिकार कैसे प्रभावित हो रहे हैं तथा उसके कौनसे खसरा नंबर की खातेदारी भूमि कैसे प्रभावित हो रही है, न ही अपील मीमो में अपने खातेदारी खेत के खसरा नंबरान का उल्लेख अपील मीमो में किया है ।

रेस्पोंडण के अधिवक्ता ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार बालेसर के आदेश दिनांक 27-5-16 के आदेश की पालना में ग्राम मुकनसर के खसरा नंबर 13 रकबा 74.14 बीघा एवं खसरा नंबर 17-1 रकबा 63.07 बीघा भूमि की पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 7-6-2016 जो मौतबिरान के रूबरू तैयार कर पेश की तथा उक्त पैमाईश रिपोर्ट में पडोसी खातेदारान के खसरे प्रभावित होना या पडोसी खातेदारो के खसरो में दबी हुई होना या ज्यादा होने का कोई जिक्र नहीं होने से उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बालेसर ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पोंडण ने कथन किया कि तहसीलदार बालेसर द्वारा पारित पैमाईश के आदेश दिनांक 27-5-2016 व मौका फर्द दिनांक 7-6-2016 को कही भी चेलेंज नहीं किया है ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय ने न्याय आपके द्वार केम्प 2016 लोडता अचलावता में दिनांक 24-6-2016 को जो निर्णय पारित किया है, उसमें तहसीलदार बालेसर को आदेशित किया गया है कि "मुकनसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता में खसरा नंबर 13 रकबा 74 बीघा 14 बिस्वा में हितबद्ध खातेदारो पक्षकारो को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्थरगढी करे" तो अपीलांट तहसीलदार बालेसर के समक्ष



डॉ. सुभाषीय बाबुल
बोधपुर

अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपीलांत द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

वकील रेस्पोंडेंट ने पुनः कथन किया कि अपीलांत किस आधार पर अपील लेकर आये हैं, स्पष्ट नहीं किया है न ही ठोस आधार प्रस्तुत किये हैं। अपीलांत के हित कैसे प्रभावित हुए हैं, यह भी नहीं बता पाये हैं तथा अपने खातेदारी के खेत का नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया है इसलिए अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से यदि अपीलांत व्यथित है तो तहसीलदार बालेसर के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है इसलिए अपीलांत की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमें उपलब्ध दस्तावेजात एवं अपीलाधीन निर्णय आदि का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील के रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 10 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का अपने खातेदारी खेत ग्राम मुकनसर स्थित खसरा नंबर 13 रकबा 74.14 बिस्वा भूमि की पत्थरगढी एवं सीमाज्ञान करवाने का प्रस्तुत किया तथा अपने प्रार्थना पत्र के सलग्न अपने खातेदारी के खेत की जमाबंदी की नकल, नक्शा ट्रेस एवं पैमाईश बाबत मौका रिपोर्ट दिनांक 7-6-2016 की पेश की गई थी। अपीलाधीन भूमि की पैमाईश रिपोर्ट रुबरू मोतबिरान के तैयार कर पढकर सुनाई गई तथा उपस्थित मौतबिरानों के अंगुठा निशान व हस्ताक्षर करवाये गये जिसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 24-6-16 को न्याय आपके द्वार केम्प 2016 ग्राम पंचायत लोडता अचलावता में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय के विरुद्ध इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील में अपीलांत की मुख्य आपत्ति यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व पडौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर नहीं दिया और न ही पक्षकार बनाया। अपीलांत ने इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपने खातेदारी की भूमि का राजस्व नक्शा एवं जमाबंदी की नकल पेश नहीं की थी किन्तु अपने खातेदारी की भूमि की जमाबंदी की नकल बहस के दौरान फार्म नंबर 3 के सलग्न पेश करते हुए कथन किया कि वे अपीलाधीन भूमि के पडौसी खातेदार हैं इसलिए अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांत एवं अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये था।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24-6-16 के द्वारा वर्तमान रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 10 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार बालेसर को आदेशित किया गया है कि "मुकनसर पटवार मण्डल लोडता अचलावता के खसरा नंबर 13 रकबा 74.14 बीघा में हितबद्ध खातेदारों पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पत्थरगढी करें।




अति. सहायक अति. बोधपुर

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 24-6-2016 में आंशिक हस्तक्षेप करते हुए तहसीलदार बालेसर को अतिरिक्त निर्देश प्रदान किये जाते हैं कि उपखण्ड अधिकारी बालेसर के आदेश की पालना में रेस्पोंड संख्या 1 से 10 के खातेदारी के खसरा नंबर 13 के पडौसी सभी खसरा नंबरान के खातेदारों को नोटिस जारी कर, उनकी उपस्थिति में पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न करें।

उक्त निर्देशों के साथ अपीलांत की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 4-10-2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया।




(मानाराम पटेल)

अतिरिक्त न्यायाधीश, आयुक्त
जयपुर